किसानों की सब्सिडी में कमी करेगी सरकार

वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में दिख सकता है असर

कन्हैया लोधी

भोपाल, 13 फरवरी. वित्तीय वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए मप्र का बजट तैयार करने का सिलसिला अब अंतिम चरणों में है. बजट को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ ही कैबिनेट के सामने भी प्रेजेंटेशन दे दिया गया है.

अब बजट प्रिंट कराने से पहले उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है. इस बीच बजट को लेकर जो संकेत मिले हैं, उसके मुताबिक एक बार फिर राज्य सरकार बजट में ज्ञान पर ही फोकस करेगी. ज्ञान यानी राज्य सरकार के चार मिशन, जिसमें गरीब, युवा , किसान और नारी कल्याण शामिल है. नए बजट में वित्तीय मैनेजमेंट को लेकर कसावट देखने मिलेगी. सबसे बड़ी बात ये कि लाड़ली बहना योजना में प्रतिमाह खर्च होने वाली बड़ी राशि को ध्यान में रखते हुए अब इस मद में राशि का इंतजाम करने के लिए किसानों को बिजली पर मिल रही सब्सिडी को कम करने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए किसानों को अब परंपरागत बिजली के बजाय सोलर से बिजली कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

दरअसल नए वित्तीय वर्ष में किसानों को बिजली पर मिलने वसाली सब्सिडी बढ़कर लगभग 27 हजार करोड़ रुपए हो जाने की संभावना है, वहीं लाड़ली बहना योजना के लिए नए बजट में लगभग 23 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान करने की जरूरत पड़ेगी. इस तरह इन दोनों ही योजनाओं पर ही सरकार को लगभग 50 हजार करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ये बड़ी राशि है. ऐसे में सरकार ने किसानों को मिल रही सब्सिडी का बोझ सरकार के कंधे से कम करने के लिए नया रास्ता निकाल लिया है. प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना लागू की गई है.

इस योजना के तहत कृषि पंप वाले एक लाख किसानों को परंपरागत बिजली के बजाय सोलर की बिजली से पलेवा करने के लिए उन्हें कनेक्शन दिए जाएंगे. सबसे पहले फोकस अस्थायी कृषि पंप उपभोक्ताओं पर किया जाएगा, उसके बाद फिर स्थायी कृषि पंप उपभोक्ताओं को सोलर में शिफ्ट करने की कोशिश होगी. यदि राज्य सरकार की योजना परवान चढ़ी तो वर्ष 2026-27 की अवधि में राज्य सरकार पर लगभग 5 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी का बोझ कम हो सकता है. इस बचत राशि को लाड़ली बहना सहित दूसरी नगद योजनाओं पर खर्च करने में उपयोग लाया जा सकेगा. वैसे भी राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को किसानों को समर्पित किया है. ऐसे में न तो किसानों को कोई नाराजगी होगी और न ही बहनों को प्रसन्न रखने में कोई परेशानी होगी.

वर्ष के अंत तक 1750 प्रतिमाह करेगी सरकार

वित्त विभाग को नए वित्तीय वर्ष में वित्तीय प्रबंधन की ज्यादा इसलिए भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस वर्ष के अंत तक यानी दिसंबर से पहले प्रदेश में लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़कर 1750 रुपए की जा सकती है. जिस तरह भाजपा ने संकल्प पत्र में जाहिर किया था कि बहनों को प्रतिमाह 3 हजार रुपए देंगे, इसके लिए ये जरुरी है कि सरकार योजना की राशि में धीरे-धीरे ही सही लेकिन बढ़ोतरी जरुर करेगी. विभागीय सूत्रों के मुताबिक वर्ष दीपावली के आसपास बहनों को 1500 रुपए से बढ़ाकर प्रतिमाह 1750 रुपए देने की घोषणा की जा सकती है.

रावसे के 24 अधिकारियों की आईएफएस के रूप में पदोन्नति

भोपाल, 13 फरवरी. मध्यप्रदेश में राज्य वन सेवा (रावसे) के 24 अधिकारियों को भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के अधिकारियों के रूप में पदोन्नत किया गया है. केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की इस संबंध में स्वीकृति के बाद अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. अधिकारियों का चयन वर्ष 2023 और 2024 को आधार मानकर किया गया है.

पदोन्नत होने वाले अधिकारियों में माधव सिंह मौर्य, ज्योति मुड़िया, हरीश चंद्र बघेल, संतोष कुमार रणशोर, शीतल प्रसाद शाक्य, बालक राम सिरसाम, भानु प्रकाश बाथम, रामकिशन सोलंकी, रेशम सिंह धुर्वे, मानसिंह मरावी, सुंदर दास सोनवानी और योहान कटारा शामिल हैं. इसके साथ ही विद्याभूषण मिश्रा, राजवेंद्र मिश्रा, अनुभा त्रिवेदी, जया पांडे त्रिपाठी, मुकेश पटेल, धीरेंद्र प्रताप सिंह, मनोज कुमार सिंह, लाल सुधाकर सिंह, शिको राही किचोलिया, विजेंद्र खोबरागड़े, भारत सोलंकी और सुरेश कुमार को आईएफएस के रूप में पदोन्नति का लाभ मिला है.

सरकार ने अधिसूचना भी जारी की

एमबीए छात्रा की नृशंस हत्या से मचा हड़कंप

03 दिन से थी लापता

नवभारत न्यूज़

इंदौर, 13 फरवरी. एक होनहार एमबीए छात्रा की बेरहमी से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. 25 वर्षीय युवती का शव उसके ही क्लासमेट के किराए के कमरे में निर्वस्त्र अवस्था में बरामद हुआ.

कमरे के बाहर ताला लगा था और भीतर से बदबू आने पर पुलिस ने जब दरवाजा खुलवाया तो भीतर का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया. युवती तीन दिनों से लापता थी, जबकि आरोपी युवक घटना के बाद से फरार है. एसीपी शिवेन्द्र जोशी ने बताया कि वारदात

द्वारकापुरी थाना क्षेत्र की अंकल गली की है. जिस कमरे से शव मिला, वह मंदसौर निवासी पीयूष धामनोदिया ने किराए पर ले रखा था. मृतका और आरोपी दोनों सांवेर रोड स्थित एक निजी संस्थान से एमबीए सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे थे. सूचना मिलते ही एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए गए. पुलिस ने आरोपी की तलाश में अलग-अलग टीमें रवाना कर दी हैं, वहीं आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक 10 फरवरी को युवती अपने पिता के साथ आधार कार्ड में सुधार कराने की बात कहकर घर से निकली थी. पिता ने उसे कलेक्टोरेट के पास छोड़ा था. वहां से उसने छोटी बहन को फोन कर बताया कि वह अपने क्लासमेट पीयूष के साथ बर्थडे पार्टी में जा रही है और रात 11 बजे तक लौट आएगी. इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया. अगले दिन कॉलेज प्रबंधन ने युवती के पिता को बुलाकर बताया कि कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में छात्रा के मोबाइल से एक आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया गया है और दोनों छात्रों के फोन बंद आ रहे हैं.

आपत्तिजनक वीडियो से खुली साजिश की परतें

घटना से जुड़ा सबसे चौंकाने वाला पहलू 10 फरवरी की रात सामने आया, जब कॉलेज के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप पर छात्रा के मोबाइल फोन से एक आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया गया. वीडियो में युवक का चेहरा इमोजी से ढंका हुआ था, जबकि युवती का चेहरा साफ नजर आ रहा था. परिजनों का आरोप है कि आरोपी ने छात्रा के मोबाइल का इस्तेमाल कर उसके स्टेटस पर भी वीडियो लगाए और फोन में सेव नंबरों पर भेजकर उसे बदनाम करने की साजिश रची थी.

उज्जैन में ट्रेनों को वापस मोड़ने की जरुरत नहीं होगी

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रेल मंत्रालय द्वारा उज्जैन बायपास लाइन को स्वीकृति प्रदान करने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार माना है. कुल 8.60 किमी की नईखेड़ी-चिंतामन गणेश रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली इस लाइन के प्रारंभ होने से उज्जैन के समीप वैकल्पिक रेल मार्ग उपलब्ध होगा. इससे उज्जैन से ट्रेनों को वापस मोड़ने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और ट्रेनों में विलंब नहीं होगा. यह व्यवस्था सिंहस्थ-2028 के दौरान श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाएगी. उल्लेखनीय है कि भारतीय रेल द्वारा 189.04 करोड़ रुपये की इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है.

20,098 किसानों ने कराया पंजीयन

07 मार्च तक खुला रजिस्ट्रेशन

भोपाल, 13 फरवरी. रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिए अब तक 20,098 किसानों ने पंजीयन करा लिया है. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से आग्रह किया है कि वे 7 मार्च तक पंजीयन अवश्य करा लें.

उन्होंने कहा कि किसान हित में पंजीयन प्रक्रिया को सहज और सुगम बनाया गया है तथा प्रदेश में कुल 3,186 पंजीयन केन्द्र बनाए गए हैं. केंद्र सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपये प्रति

क्विंटल घोषित किया है, जो पिछले वर्ष से 160 रुपये अधिक है.

अभी तक इंदौर संभाग में 4,084, उज्जैन में 9,524, ग्वालियर में 476, चंबल में 123, जबलपुर में 788, नर्मदापुरम में 900, भोपाल में 3,602, रीवा में 68, शहडोल में 83 और सागर में 450 किसानों ने पंजीयन कराया है. पंजीयन की नि:शुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्रों तथा सहकारी समितियों/विपणन संस्थाओं के माध्यम से की गई है.

इसके अलावा, एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केन्द्र और साइबर कैफे पर सशुल्क पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है. जिन किसानों के मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं, उन्हें एसएमएस के जरिए जानकारी दी जाएगी तथा ग्राम पंचायतों में सूचना पटल और मंडी स्तर पर बैनर लगवाने के निर्देश दिए गए हैं.

ओवरलोड खनिज परिवहन पर प्रशासन की सख्ती

तीन हाइवा वाहन जप्त, खनिज व परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई, निवास चौकी में खड़े कराए गए वाहन

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 13 फरवरी। कलेक्टर गौरव बैनल के निर्देशानुसार जिले में अवैध एवं ओवरलोड खनिज परिवहन पर सख्त कार्रवाई लगातार जारी है।

इसी क्रम में जिला खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल के मार्गदर्शन में खनिज एवं परिवहन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा निवास चौकी क्षेत्र अंतर्गत खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान हाइवा वाहन क्रमांक एमपी 66 एच 2078, एमपी 53 जेडडी 7772 एवं एमपी 53 जेडजी 4006 को रोककर निरीक्षण किया गया, जिसमें वाहनों से गिट्टी एवं रेत का ओवरलोड

परिवहन किया जाना पाया गया। प्रशासनिक टीम ने नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों हाइवा वाहनों को नियमानुसार जप्त कर लिया। जप्त वाहनों को पुलिस चौकी निवास में सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया है, ताकि आगे की विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। अधिकारियों ने बताया कि खनिज नियमों के तहत संबंधित वाहन मालिकों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध एवं ओवरलोड खनिज परिवहन करने वालों में हड़कंप की स्थिति है। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में इस तरह के सघन जांच अभियान आगे भी जारी रहेंगे, जिससे अवैध खनिज परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके और शासकीय राजस्व की हानि को रोका जा सके।

मध्यप्रदेश में ठंड से काफी राहत

30 डिग्री पार पहुंचा दिन का तापमान

पश्चिमी विक्षोभ का असर सीमित

भोपाल, 13 फरवरी. मध्य प्रदेश में अब सर्दी का असर लगातार कम होता नजर आ रहा है. प्रदेश के कई शहरों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जबकि रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. मौसम के इस बदलाव से साफ संकेत मिल रहे हैं कि ठंड अब विदाई की ओर है.

मौसम विभाग के अनुसार 13 और 16 फरवरी को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे. इनका मुख्य प्रभाव पहाड़ी राज्यों में देखने को मिलेगा, जहां बर्फबारी और वर्षा की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. हालांकि मध्य प्रदेश में इन सिस्टम का असर सीमित रहने की संभावना है. इसके चलते हल्की ठंड का एक छोटा दौर महसूस हो सकता है, लेकिन कड़ाके की सर्दी लौटने की संभावना नहीं है. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में मौसम मुख्यत: शुष्क रहा.

अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन दर्ज नहीं किया गया, लेकिन इंदौर, रीवा, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में यह सामान्य से 1.6 से 2.3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. अन्य संभागों में तापमान सामान्य स्तर पर बना रहा. न्यूनतम तापमान में भी खास बदलाव नहीं हुआ. इंदौर, नर्मदापुरम, ग्वालियर और सागर संभागों में रात का तापमान सामान्य से 1.9 से 2.4 डिग्री अधिक दर्ज किया गया. वहीं उज्जैन और चंबल संभागों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.1 से 3.3 डिग्री तक अधिक रहा, जो इस समय के लिए उल्लेखनीय वृद्धि मानी जा रही है.

कोयलखूंथ में बाइक-ऑटो की आमने-सामने भिड़ंत

क्षत्रिय कुलावंत संगठन ने दिखाई तत्परता, बचाई युवक की जान

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 13 फरवरी। हमेशा की तरह एक बार फिर क्षत्रिय कुलावंत संगठन ने घायलों को अस्पताल पहुंचाकर मानवता की मिसाल पेश की है। माड़ा थाना क्षेत्र के कोयलखूंथ में आज दिन शुक्रवार को बाइक और ऑटो की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया।

हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर ही गिर पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर की आवाज दूर तक सुनाई दी और कुछ ही क्षणों में मौके पर भीड़ जमा हो गई।

घटना की जानकारी मिलते ही संगठन के माड़ा तहसील अध्यक्ष विकेश सिंह अपने साथियों के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बिना किसी औपचारिकता के सीधे घायल को उठाया और वाहन तक पहुंचाया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घायल युवक की पहचान नादो निवासी सुरेश जायसवाल के रूप में हुई है, जबकि ऑटो सवार एक अन्य महिला की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है और जिला अस्पताल में उपचार जारी है।

सड़क सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

कोयलखूंथ का यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। तेज रफ्तार, लापरवाही और यातायात नियमों की अनदेखी ऐसे हादसों की बड़ी वजह बन रही है। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में ट्रैफिक नियंत्रण और सख्ती बढ़ाने की मांग की है। यह घटना जहां दर्दनाक है, वहीं यह भी दर्शाती है कि समाज में संवेदनाएं अब भी जीवित हैं और संकट की घड़ी में उठाया गया एक कदम किसी की जिंदगी बचा सकता है।

कार की टक्कर से बाइक सवार 20 फीट खाई में गिरा

बाईक एवं कार के बीच गड़ेरिया पुल के पास टक्कर हो गई, जहां बाईक सवार चालक 20 फीट खाई में गिर पड़ा, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घायल को जिला चिकित्सालय सह ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार बरगवां थाना क्षेत्र के गड़ेरिया पुल के पास मोटरसाइकिल एवं कार में सीधी भिड़ंत हो गई। कार वाहन क्रमांक एमपी 09 जेडएम 4822 के बीच टक्कर इतनी तेज हुई थी कि मोटरसाइकिल सवार चालक 20 फीट नीचे गहरे खाई में गिर गया, जहां स्थानीय लोग के मदद से उसे बाहर निकाला गया, पुलिस को सूचना न देकर सीधे अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सको ने उसे अन्य जगह के लिए रिफर कर दिया है।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं विट्टी केवट पत्नी स्व. लालजी केवट उम्र-57 वर्ष निवासी ग्राम हर्दी, पो. पचौर, थाना बैढ़न, तहसील व जिला-सिंगरौली (म.प्र.) 486886 की हूँ:- यह कि मेरे आधार कार्ड नं. 6944 6280 4727 में मेरा नाम विट्टी केवट लेख है जो कि सही है किन्तु मेरे नाम से एक और आधार कार्ड बना हुआ है जिसमें मेरा नाम जनपति केवट लेख है जो कि गलत है, दोनो का आधार नम्बर सेम है। यह कि मेरा खाता इण्डियन बैंक शाखा बैढ़न में है जिसका खाता नं.-59104517934 है और मेरा नाम जनपति केवट लेख किया है जो कि गलत है जबकि मेरा सही नाम विट्टी केवट है, मेरे अन्य सभी दस्तावेजो में लेख है। यह कि विट्टी केवट व जनपति केवट उपरोक्त दोनो प्रार्थिया का ही नाम है और उपरोक्त खाता में विट्टी केवट सुधार कराया जाय।

हस्ता. शपथकर्ता.....

Name Chenge

I 20 Mankrimay J.C. 348050F EX.-Subedar Diwakar Prasad Namdev, aged 67 years, son of late Prahlad Prasad Namdev, resident of village Semaria, post office Semaria, police station Semaria, tehsil Gopad Banas, district Sidhi, M.P.

That I solemnly declare that In my Army records, the name of my legal wife is written as Savatri Devi, whereas the correct and real name of my wife is Savatri Devi Namdev and accordingly it is appropriate and necessary to register the name of my wife in my Army records also.

That I solemnly declare that as aforesaid In my Army records, where my wife's name is written as Savatri Devi, it is appropriate and necessary that in its place, Savatri Devi Namdev should be written, read and considered as such.

राजनीति | कथित लाठीचार्ज मामले में कांग्रेसी सड़कों पर उतरे

जीतू पटवारी ने प्रदर्शन में की शिरकत

विशेष संवाददाता

भोपाल, 13 फरवरी. शहडोल में स्वच्छ पेयजल की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों पर जिला प्रशासन द्वारा किए गए लाठीचार्ज के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है.

विपक्ष ने भाजपा सरकार पर संवेदनहीनता और दमनात्मक रवैया अपनाने का आरोप लगाया है. कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में एक विशाल जनसभा और रैली का आयोजन किया गया, जिसमें शहडोल और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. सभा को संबोधित करते हुए पटवारी ने आरोप लगाया कि पिछले दो दशकों में भाजपा सरकार प्रदेशवासियों को एक गिलास स्वच्छ पेयजल तक उपलब्ध कराने में विफल रही है. उन्होंने कहा कि जब जनता अपनी बुनियादी जरूरतों, विशेषकर पानी, की मांग करती है तो सरकार समाधान देने के बजाय लाठियां चलवाती है, जो लोकतांत्रिक शासन नहीं बल्कि तानाशाही का उदाहरण है. उन्होंने दावा किया कि शहडोल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है.

- **सरकार की नीतियों पर साधा निशाना**
- **लाठीचार्ज के बाद गर्माई राजनीति**

युवाओं में बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं और अवैध रेत खनन जैसे मुद्दों को भी उन्होंने उठाया. पटवारी ने सरकार पर कानून-व्यवस्था चरमराने और प्रशासन के राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाया. उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस इस मुद्दे को 'सड़क से सदन तक' उठाएगी और कथित ज्यादतियों का हिसाब लेकर रहेगी.

कार्यालय संयुक्त आयुक्त राज्य कर एन्टी एन्टी इवेजन ब्यूरो, सतना म.प्र.

द्वितीय तल विन्ध्य चेम्बर्स आफ कामर्स भवन सर्किट हाउस के पास सतना म.प्र.

E-mail: dcaebstn@mptax.mp.gov.in

क्रमांक/वाक/एईबी/25-26/131 सतना, दिनांक 12.02.2026

नीलामी की सूचना (पंचम)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा जब्त वाहन क्रमांक ∑KA-19-AE-2956 में लदे माल का खुली बोली द्वारा निस्तारण (नीलामी) The MPGST Rules, 2017 के नियम 144 एवं 144A के अन्तर्गत दिनांक 25.02.2026 को सुबह 11 बजे कार्यालय संयुक्त आयुक्त राज्य कर, एन्टी इवेजन ब्यूरो, सतना, द्वितीय तल विन्ध्य चैम्बर्स आफ कामर्स भवन, सर्किट हाउस के पास, सतना (म.प्र.) में जी.एस.टी में पंजीकृत व्यक्ति को किया जाना है.

नीलाम किये जाने वाले माल का विवरण:-

S.N.	Commodity name	HSN	UQM	QUANTITY	करयोग्य राशि (In Rs)	अमानत राशि (In Rs)	न्यूनतम बोली राशि (In Rs)
1	HANS CHAAP TOBACCO	2403	POUCHES	448500	852509/-	25000/-	852509/-
2	COOLUPFILTERTOBACCO	2403	POUCHES	156672	967857/-	25000/-	967857/-

नीलामी की शर्तें:- 1. बोली में भाग लेने के लिए बोलीदाता को बोली प्रतिभूति के रूप में उपरोक्त तय राशि अलग अलग डिमाण्ड ड्राफ्ट ASSISTANT COMMISSIONER (STATE TAX) ANTI EVASION BUREAU, SATNA (M.P.) के नाम से जमा कराने होंगे. असफल बोलीदाता को अमानत राशि, बोली निर्णीत होने के उपरान्त लौटा दी जावेगी एवं सफल बोलीदाता की प्रतिभूति राशि बोली राशि के विरुद्ध समायोजित कर ली जावेगी. 2. बोलीदाता का जीएसटी में पंजीकृत होना आश्यक है. बोली में भाग लेने से पूर्व जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र व केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई पहचान पत्र की छायाप्रति कार्यालय में जमा करानी होगी. 3 सफल बोलीतात को नीलामी में प्रदान किये गये माल के विरुद्ध किये गये भुगतान की राशि पर नियमानुसार RCM पर जी.एस.टी. पृथक से जमा कराना होगा. 4. माल जहां है, जैसी स्थिति में है, उसी स्थिति में नीलाम किया जावेगा. अत: बोली लगाने वाले से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बोली लगाने से पूर्व माल का पूरा अवलोकन कर लें तथा माल के विवरण के बारे में अपने आप को संतुष्ट करने के उपरांत ही बोली लगायें. 5. प्रत्येक सफल बोलीदाता को अंतिम सफल बोली (नीलामी राशि) की एक चौथाई (25 प्रतिशत) राशि मौके पर ही चालान/बैंक ड्राफ्ट के द्वारा जमा करानी होगी एवं शेष तीन चौथाई (75 प्रतिशत) राशि बैंक ड्राफ्ट के द्वारा नीलामी की दिनांक से 15 दिवस में जमा करवाना अनिवार्य है. 6. बैंक ड्राफ्ट ASSISTANT COMMISSIONER (STATE TAX), ANTI EVASION BUREAU, SATNA (M.P) के पक्ष में देय होगा. DRC-11 में निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराये जाने पर अमानत राशि एवं प्राप्त आंशिक 25 प्रतिशत राशि जब्त कर ली जावेगी. 7. नीलामी प्रक्रिया से संबंधित समस्त विवरण, नीलामी की शर्तों का अवलोकन कार्यालय आयुक्त राज्य कर, एन्टी इवेजन ब्यूरो, सतना, द्वितीय तल विन्ध्य चैम्बर्स आफ कामर्स भवन, सर्किट हाउस के पास, स तना (म.प्र.) के नोटिस वार्ड पर कार्यालय सतना में कभी भी किया जा सकता है. माल का अवलोकन चौकी चकरपुर, थाना ओरछा जिला निवाड़ी मध्यप्रदेश के परिसर में खड़े वाहन क्रमांक KA-19-AE-2956 में कार्यालय समय में कभी भी किया जा सकता है. 8. माल सुपुर्दगी बोली की पूर्ण राशि जमा कराने के उपरांत की जावेगी. बोली के पश्चात समस्त व्यय आदि बोलीदाता को स्वयं को वहन करना होगा. 9. अन्य कोई जानकारी अथवा विवरण प्राप्त करने हेतु श्री हरिहर तिवारी, राज्य कर निरीक्षक मो. नं. 7987809617 पर सम्पर्क किया जा सकता है.

(राजीव गोयल)

G 25783/25 सहायक आयुक्त, राज्य कर, एन्टी इवेजन ब्यूरो, सतना म.प्र.